प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्ताईस'

[7/12/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 1518]

परिशिष्ट "अ"

(क) – दिनांक 01.07.16 से 15.11.16 तक आत्महत्या संबंधी जानकारी

क.	जिला	कुल आत्महत्या	कृषक	कृषि मजदूर	छात्र	अन्य
1.	ग्वालियर	107	0	2	22	83
2.	शिवपुरी	73	12	6	4	51
3	गुना	33	0	0	0	33
4	अशोक नगर	43	9	4	2	28
5	मुरैना	77	10	5	6	56
6	भिण्ड	67	6	8	4	49
7	श्योपुर	2	1	0	0	1
8	दतिया	14	2	4	3	5
9	इंदौर	213	0	0	17	196
10	धार	88	4	13	10	61
11	झाबुआ	60	24	9	9	18
12	अलीराजपुर	52	32	0	4	16
13	खरगौन	129	5	25	8	91
14	खण्डवा	34	3	7	2	22
15	बडवानी	71	9	18	1	43
16	बुरहानपुर	22	0	0	3	19
17	उज्जैन	49	4	0	11	34
18	मंदसौर	41	1	0	0	40
19	नीमच	29	3	2	4	20
20	रतलाम	57	2	0	2	53
21	देवास	59	1	1	7	50
22	शाजापुर	25	2	0	0	23
23	आगर	12	0	0	0	12
24	जबलपुर	170	6	6	8	150
25	कटनी	60	0	0	4	56
26	छिंदवाडा	101	6	9	6	80
27	सिवनी	47	0	2	2	43
28	नरसिंहपुर	79	0	0	4	75
29	सागर	219	10	35	9	165
30	पन्ना	43	0	0	0	43
31	दमोह	48	0	0	0	48
32	छतरपुर	86	0	20	12	54
33	टीकमगढ	73	11	1	4	57
34	बालाघाट	57	0	0	5	52
35	मंडला	52	0	1	5	46
36	डिंडोरी	159	34	34	22	69

सहायक अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, ... (1)
मंत्रालय, भोपाल

A.I.G.
P.H.Q. BHOPAL

37	रीवा	138	11	4	7	116
38	सतना	77	15	8	6	48
39	सीधी	63	6	1	11	45
40	शहडोल	55	8	15	6	26
41	अनूपपुर	39	0	4	1	34
42	उमरिया	18	7	7	2	2
43	सिंगरौली	27	0	9	2	16
44	होशंगाबाद	62	0	2	7	53
45	हरदा	14	0	0	0	14
46	रायसेन	39	0	0	0	39
47	बैतूल	64	0	0	0	64
48	भोपाल	176	1	0	25	150
49	सीहोर	37	1	1	7	28
50	राजगढ	21	0	0	0	21
51	विदिशा	76	6	6	6	58
52	रेल भोपाल	1	0	0	1	0
53	रेल इंदौर	8	0	0	0	8
54	रेलजबलपुर	3	0	0	0	3
	कुल योग	**3469**	**252**	**269**	**281**	**2667**

30.11.16

30/11/16

A.I.G.
C.I.D. P.H.Q. BHOPAL

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

परिशिष्ट–"ख"

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 443 दिनांक 30.11.2016 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी

मध्यप्रदेश में किसानों द्वारा कि जाने आत्महत्या के परोक्ष, पारिवारिक, स्थानीय, अथवा कई अन्य कारण हो सकते है। म.प्र. में किसानों की आर्थिक प्रगति उन्नयन हेतु विभागीय योजनांतर्गत प्रदाय लाभ विवरण निम्नानुसार है।

- मध्यप्रदेश ,भारत का दूसरा बड़ा कृषि प्रधान राज्य है तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका स्थान सातवां है।
- प्रदेश की वर्ष 2011–12 में कृषि विकास दर 18.91 प्रतिशत आंकी गई है राज्य के लिये 11 वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित 5 प्रतिशत कृषि विकास दर की तुलना में 9.2 प्रतिशत कृषि विकास दर हासिल की गई।
- मध्यप्रदेश में किसानों की जोत संख्या 79.08 लाख हैक्टर है। इनमें से एक हैक्टर से कम रकबे वाले किसानों का 40.45% तथा एक से दो हैक्टर वाले किसानों का 27.15% है। इन किसानों के पास कुल क्षेत्रफल का 46.5% है। स्पष्टतः प्रदेश में लघु सीमान्त कृषकों का बाहुल्य है। इनमें से 9.09% अ.जा.तथा 15.04% अनु.जनजाति के कृषक है। सभी वर्गो के किसानों के कल्याण के लिये अनेक योजनाऐं संचालित है। इन योजनाओं में अ.जा. तथा अ.ज.जा. किसानों और लघु–सीमान्त कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर अनुदान दिया जाता है।
- मध्यप्रदेश में सहकारी कृषि ऋण पर ब्याज की वर्तमान दर शून्य प्रतिशत है। इससे पूर्व भी सहकारी ऋण पर ब्याज की दर अन्य राज्यों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम ही रही है।
- पूर्व में किसानों को 15–16 प्रतिशत ब्याज दर पर कृषि ऋण मिलता था किन्तु वर्ष 2006 से 2008 में 7 % ,वर्ष 2008–2010 में 5 %, वर्ष 2010–11 में 3% और 2011–12 में 1% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में ब्याज मुक्त कृषि ऋण देकर किसानों का वित्तीय भार कम करने का प्रयत्न राज्य शासन द्वारा किया गया है। इस प्रकार साहूकारों और निजी कर्जदाताओ से किसानों को बचाने की पूरी कोशिश शासन द्वारा की जा रही है।
- विगत वर्षो में लगातार खेती का रकबा और ज्यादातर फसलों का उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ रही है। धान और गेहूं के समर्थन मूल्यों पर अतिरिक्त बोनस दिया जा रहा है जिससे किसानों को उनके परिश्रम का सम्मानजनक मूल्य प्राप्त हो रहा है। सोयाबीन और अन्य फसलों के दामों में काफी अच्छी वृद्धि हुई है। जिससे किसानों की शुद्ध आय और आर्थिक स्तर में वृद्धि हुई है।
- मंडी समितियों में सुगमता पूर्वक आवक तथा विपणन के लिये भी किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है।
- राज्य सरकार द्वारा लघु– सीमान्त किसानों और कमजोर तथा पिछड़ी सामाजिक स्थिति वाले समुदायों के लिये कई अनुदान योजनाओं में राज्य सरकार की ओर से टाप अप अनुदान देकर आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने के लिये प्रेरित किया जा रहा है।
- कृषि कार्यक्रम निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। प्रत्येक ग्राम के महिला और पुरूष किसानों को प्रशिक्षण देकर सम्पर्क किसान अथवा स्थानीय परामर्शदाता के रूप में पहचान स्थापित की गई है जिससे क्षेत्रीय समस्याओं को चिन्हित करना आसान हुआ है।

प्रदेश में खेती को लाभकारी बनाने के लिये विभाग द्वारा शासन की विभिन्न योजनांतर्गत किसानों को अनुदान एवं अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाता है।

30/11/16

संयुक्त संचालक (प्रो.सं.)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल